न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 121/2020

रोशन पुत्र बिहारी जाति कुम्हार निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी (भरतपुर)

वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री मौहम्मद खाँ वकील वादी

दिनांक :– 03/06/2022

निर्णय

उपखण्ड पहाड़ी (जिला भरतपुर)

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 861/0.08, 865/0.61 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुत0 मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड वादी की खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू से पूर्व से ही वहैसियत खातेदार के रूप काबिज है और आज भी वादी का कब्जा काश्त है। इस प्रकार आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है और वादी एक खातेदार की हैसियत से कब्जे काश्त है। और मौके पर वादी की फसल खडी हुई है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम पट्टेदार दर्ज चला आ रहा है। मुताबिक कानून वादी को खातेदार दर्ज कर देना चाहिए था विधि वजह वादी राजस्व रिकॉर्ड अपने आपको पट्टेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर खातेदार दर्ज करा पाने का अधिकारी है। वादी को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादी विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 18/01/2022 को वादी के दावा को स्वीकार करते हुये जबाब/मौका पर्चा रिपोर्ट पेश किया है कि आज दिनांक 18/01/2022 को ग्राम कैथवाडा के खसरा नम्बर 861/0.08, 865/0.61 हैक्टर के मौके पर पहुंचा मौके पर सम्बन्धित पक्षकार को बुलाया गया आदेशानुसार तथ्यों की जाँच की गई। जो निम्न प्रकार है आराजी खसरा नम्बर 861, 865 रोशन पुत्र बिहारी जाति कुम्हार के नाम दर्ज रिकॉर्ड पट्टेदार है। रोशन पुत्र बिहारी उक्त आराजी पर काश्त करता है । जाँच रिपोर्ट श्रीमान्जी की सेवा में सादर प्रेषित है। अतः वादी को राजस्व रिकॉर्ड में पटटेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करना न्यायहित में है एवं आराजी धारा 16 के अन्तर्गत नहीं आती है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी मुतदाविया वादी की पुश्तैनी आराजी है। जिस पर वादी आर0टी0 एक्ट के लागू होने से पूर्व से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है।

........वादी

तनकी संख्या 2 :– आया राजस्व रिकॉर्ड हो रहे इन्द्राज पटटेदार को कलमजन कर वादी को खातेदार दर्ज किया जावें।

........वादी

3:– दादरसी ।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 रोशन , पी0डब्लू02 मौहब्बत, पी0डब्लू0 3 इसमायल खाँ के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–78, 2030–32, 2038–41,2043–46, 2051–54, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2075–78 पेश की है।

बहस वादी सुनी गई। बहस में वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी मुतदाविया वादी की पुश्तैनी आराजी है। जिस पर वादी आर0टी0 एक्ट के लागू होने से पूर्व से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक आराजी वादी के बुजुर्गान की आराजी है। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व में आराजी बीधा पुत्र घमण्डी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड पहाड़ी उप जिला ...

उपखण्ड अधि...
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

की गैर मौरोसी की आराजी थी। बीधा पुत्र घमण्डी के गुजरने के बाद सौमोती बेवा बीधा ने वारिसान के रूप में काश्त की अब वादी रोशन पुत्र बिहारी का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा काश्त है। वर्तमान में वादी का मुताबिक हिस्सा कब्जा काश्त है। आराजी पर वादी के बुजुर्ग राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से ही गैर मौरोसी राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज है। आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया राजस्व रिकॉर्ड हो रहे इन्द्राज पटटेदार को कलमजन कर वादी को खातेदार दर्ज किया जावें।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। वादी का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादी अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 861/0.08, 865/0.61 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी पर पट्‌टेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे पट्‌टेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/06/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी उपखण्ड जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 121/2020
रोशन पुत्र बिहारी जाति कुम्हार निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी (भरतपुर)
वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर
प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण X मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 861/0.08, 865/0.61 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी पर पट्टेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे पट्टेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।
आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X .... तक अदा करें।

बसबब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03/06/ सन् 2022 को जारी की गई ।

दस्तखत ....
ओहदा ....
उपखण्ड अधिकारी

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड पहाडी (जिला भरतपुर)

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	......			फीस कमिश्नर	......		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	....	4.00		मीजान	....		

Scanned with OKEN Scanner